रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052025-263182 CG-DL-E-1**7052025-263182**

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2163]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2025/वैशाख 26, 1947

No. 2163]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2025/VAISAKHA 26, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2025

का.आ. 2214(अ).— केंद्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ठ की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, आधिकारिक राजपत्र संख्या एस.ओ. 1403(अ), दिनांक 4 सितंबर, 2006, अधिसूचना में निन्मलिखित संशोधन और करती है अर्थात : –

3247 GI/2025 (1)

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 5 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित संशोधित संख्याएँ और प्रविष्टियाँ रखी जाएँ, अर्थात : –

"5 श्री संजय कुमार झा, - सदस्य

संसद सदस्य, राज्य सभा वह दिनांक 18.09.2026 तक या उनके राज्य सभा के

सदस्य रहने तक, इसमें जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण

करेंगे।"

[फा. सं. 15-6/2022- रा.व्या.सं.प्रा]

डॉ. जी. एस. भारद्वाज, अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना)

टिप्पण: प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में क्रमांक का. आ. 1403(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 2006 और अंतिम बार संशोधित, अधिसूचना संख्या का. आ. 232(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2024

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2025

S.O. 2214(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38L of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, published in the Official Gazette *vide* number S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006, namely:—

In the said notification, for serial number 5, and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:—

"5. Shri Sanjay Kumar Jha, - Member

Member of Parliament (Rajya Sabha) (He shall hold office till 18.09.2026 or till he ceases

to be a Member of Rajya Sabha, whichever is

earlier)".

[F. No. 15-6/2022-NTCA]

Dr. G.S. BHARDWAJ, Addl. Director General of Forests (Project Tiger)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006 and last amended, vide, notification number S.O. 5254(E), dated the 26th September 2024.